इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40/ रुपए
(आईएसओ 9001 : 2015 द्वारा प्रमाणित)

व्यावसायिक
उत्कृष्टता के
प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड : 10 अंक : 12 जुलाई, 2019 पृष्ठों की संख्या 18

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ----------2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ----------5
विनियामकों के कथन ----------6
नयी नियुक्तियाँ----------7
विदेशी मुद्रा ----------7
शब्दावली ----------8
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ----------8
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ----------9
संस्थान समाचार ----------9
नयी पहलकदमी ----------14
प्रशिक्षण ----------14
बाजार की खबरें ----------15

''इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों/ मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/ किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।''

मुख्य घटनाएँ

दूसरा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य

मौद्रिक नीति समिति की दूसरी द्विमासिक बैठक 6 जून, 2019 को आयोजित की गई। मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने नीतिगत दर में 25 आधार अंकों की कटौती कर दी और अपने दृष्टिकोण को तटस्थ से बदल कर निभावात्मक कर दिया। नीतिगत पुनर्खरीद (repo) दर को 6.00% से घटाकर 5.75% कर दिया गया। दर में यह कटौती समग्र मांग को बढ़ाने के प्रयासों को समर्थन प्रदान करते हुए लचीली मुद्रास्फीति के प्रति सहवर्तिता बनाए रखते हुए विशेष रूप से निजी निवेश गतिविधि को पुन: शक्ति प्रदान करने के लिए वृद्धि से संबन्धित चिंताओं को ध्यान में रखने हेतु की गई।

दबावग्रस्त आस्तियों से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किए संशोधित मानदंड

अप्रैल में दबावग्रस्त आस्तियों के निवारण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित ढांचे के उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिये जाने के बाद शीर्ष बैंक ने दबवग्रस्त आस्तियों के निवारण के लिए एक विवेकसंगत ढांचा जारी किया है। नए ढांचे में ऋणदाताओं को किसी उधारकर्ता के खाते का चूक के 30 दिनों के भीतर (पूर्ववर्ती 1 दिन वाले नियम के विपरीत) पुनरीक्षण करने की स्वतन्त्रता दी गई है। हालांकि, इसमें निवारण योजना (RP) के कार्यान्वयन में विलंब होने की स्थिति में अतिरिक्त प्रावधान

निर्धारित किए गए हैं। संशोधित परिपत्र लघु वित्त बैंकों, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर भी लागू होगा। ऐसे मामलों में जहां निवारण योजना कार्यान्वित की जानी है, सभी ऋणदाताओं को एक से अधिक ऋणदाता से ऋण सुविधाओं का उपयोग करने वाले उधारकर्ताओं के संबंध में निवारण योजना को अंतिम रूप देने औए उसे कार्यान्वित करने के लिए पुनरीक्षण अवधि के दौरान अंतर-लेनदार करार करना होगा। किसी निवारण योजना के कार्यान्वयन में पुनरीक्षण अवधि की समाप्ति से 189 दिनों की निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने पर ऋणदाताओं को बकाया ऋण के 20% का अतिरिक्त प्रावधान करना होगा। इस समयावधि के 365 दिनों से अधिक होने पर उन्हें 15% का और अधिक प्रावधान करना होगा। ये अतिरिक्त प्रावधान पहले से किए गए प्रावधानों के अतिरिक्त अथवा उधारकर्ता के खाते के आस्ति बर्गीकरण स्थिति के अनुसार यथा आवश्यक प्रावधान करने होंगे।

एटीएम अंतर-परिवर्तन शुल्क ढांचे की समीक्षा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की समिति

एटीएम अंतर-परिवर्तन शुल्क ढांचे की समीक्षा करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यपालक श्री वी॰ जी॰ कन्नन की अध्यक्षता में एक छ: सदस्यीय समिति का गठन किया है, ताकि बैंक-रहित क्षेत्रों में एटीएम परिनियोजन को प्रोत्साहित किया जा सके। उक्त समिति एटीएम लेनदेनों के लिए लागतों, प्रभारों और अंतर-परिवर्तन शुल्कों के मौजूदा ढांचे की समीक्षा करेगी। वह कार्डधारकों द्वारा एटीएमों के उपयोग के सम्पूर्ण स्वरूपों की भी समीक्षा करेगी तथा प्रभारों एवं अंतर-परिवर्तन शुल्कों पर उनके प्रभावों का मूल्यांकन करेगी। उक्त समिति एटीएम परिस्थितिकी तंत्र में लागतों के सम्पूर्ण स्वरग्राम का मूल्यांकन करेगी तथा इष्टतम प्रभार/अंतर-परिवर्तन शुल्क ढांचे एवं स्वरूप के संबंध में सिफ़ारिशें करेगी।

वित्तीय बेंचमार्क नियंत्रकों को 1 करोड़ रुपए की निवल मालियत वाला और भारत में निगमित होना चाहिए

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह अधिदिष्ट किया है कि उनके द्वारा विनियमित वित्तीय लिखतों के लिए बाजार में बेंचमार्कों को नियंत्रित करने वाले वित्तीय बेंचमार्क नियंत्रकों (FBAs)

को भारत में निगमित कंपनी होना चाहिए तथा उन्हें हर समय न्यूनतम 1 करोड़ रुपए की निवल मालियत रखनी चाहिए। अपने वित्तीय बेंचमार्क नियंत्रक (भारतीय रिजर्व बैंक) निर्देश, 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि वह बाजारों में उसके उपयोग, कुशलता और सुसगतता पर विचार करने के बाद ही किसी बेंचमार्क को ''महत्वपूर्ण'' अधिसूचित करेगा। वित्तीय बेंचमार्क नियंत्रक से तात्पर्य है वह व्यक्ति जो सृजन, परिचालन एवं नियंत्रण को नियंत्रित करे।

भारतीय रिजर्व बैंक का ग्राहक -शिकायत प्रसंस्करण डिजिटल हुआ

भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जैसी सार्वजनिक अंतरापृष्ठ वाली विनियमित संस्थाओं के विरुद्ध अन्यों के साथ-साथ ही जन सामान्य को अपनी शिकायतें दर्ज करवाने में समर्थ बनाने हेतु एक शिकायत प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है। उक्त प्रणाली डेस्कटाप और उसके साथ ही मोबाइल उपकरणों पर अभिगम्य होगी तथा उसमें एसएमएस/ई-मेल सूचना/ओं के माध्यम से प्राप्ति-अभिस्वीकृति, विशिष्ट पंजीकरण सख्या के माध्यम से स्थिति का पता लगाने, संवरण सूचनाओं की प्राप्ति और जहां लागू हो, अपीलें दायर करने जैसी विशेषताएँ उपलब्ध कराएगी। वह ग्राहकों के अनुभव के सम्बंध में स्वैच्छिक प्रति-सूचना भी मंगवाती है।

एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ की नयी श्रेणी छोटे व्यापारियों के व्यापारी दर बट्टे को माफ कर देती है

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने छोटे आफ़लाइन व्यापारियों को व्यापारी बट्टा दर (MDR) का भुगतान किए बिना ही ऐसे भुगतान स्वीकार करने में समर्थ बनाने के लिए एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ (UPI) की एक नयी श्रेणी सृजित की है। यह कार्य कम मूल्य के टिकट आकार वाले छोटे वायपरियों अथवा विक्रेताओं को डिजिटल ढांचे के भीतर लाने हेतु किया जा रहा है। उक्त नयी पी2पी (समकक्ष से समकक्ष और व्यापारी तक) के भुगतानों की श्रेणी छोटे व्यापारियों और असंगठित खुदरा क्षेत्र की जरूरतें पूरी करेगी। प्रति माह 50,000 रुपए तक के अपेक्षित आवक एकीकृत

भुगतान अंतरापृष्ठ लेनदेनों वाले व्यापारी पी2पी श्रेणी के अधीन अभिग्रहण के पात्र होंगे।

अधिग्राहक बैंकों अथवा फिंटेक को इन व्यापारियों से व्यापारी बट्टा दर वसूल करने की अनुमति नहीं होगी।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने मूल खता धारकों के लिए मानदंड शिथिल किए भारतीय रिजर्व बैंक ने मूल बचत बैंक जमा (BSBD) खातों अर्थात सादे खातों के कतिपय मानदंड शिथिल कर दिये हैं। फलत: अब बैंक बचत बैंक जमा खाता धारकों को उनसे इन सुविधाओं के बदले न्यूनतम शेष राशि की मांग किए बिना अथवा अतिरिक्त प्रभार वसूल किए बिना चेक बुकें और अन्य सुविधाएं प्रदान करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह विनिर्दिष्ट किया है कि न्यूनतम सुविधाओं से अधिक ऐसी मूल्य-योजित सेवाएँ प्राप्त करने से वह तब तक गैर-मूल बचत बैंक जमा खाता नहीं होगा जब तक कि निर्धारित न्यूनतम सेवाएँ प्रभार-रहित प्रदान की जाती हैं। मूल्य-योजित सेवाएँ बैंक के विवेक के अनुसार भेदभाव-रहित रीति से प्रभार वसूल करने योग्य हो सकती हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएमों के लिए नए सुरक्षा उपाय सूचित किए एटीएमों के लिए कुछेक नए सुरक्षोपायों की घोषणा करते हुये भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि एटीएमों में नकदी की पुन: भराई (replenishment) केवल डिजिटल एकबारगी समूहित तालों (one-time combination) में ही की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त,, जो अत्यधिक सुरक्षित परिसरों में लगाए गए हैं उन एटीएमों को छोडकर सभी एटीमों को 30 सितंबर तक (दीवारों या खंभों जैसे) किसी ढांचे से सम्बद्ध कर दिया जाना चाहिए। शीर्ष बैंक बैंकों से यह अपेक्षा करता है कि वे सामयिक चेतावनी और त्वरित अनुक्रिया सुनिश्चित करने के लिए किसी ई-चौकसी की व्यवस्था करने पर विचार करें। ये नए उपाय भारतीय रिजर्व बैंक तथा कानून का प्रवर्तन करने वाली एजेंसियों द्वारा जारी मौजूदा अनुदेशों, प्रथाओं एवं दिशानिर्देशों के अतिरिक्त हैं।

आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ समकक्षों की वित्तीय आस्तियां अभिगृहीत कर सकती हैं

दबावग्रस्त आस्तियों के समय पर निवारण में तेजी लाने के एक अभियान में भारतीय रिजर्व बैंक ने आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) को कुछेक शर्तों के अधीन अन्य आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की वित्तीय आस्तियां अभिगृहीत करने की अनुमति दे दी है। यह लेनदेन नकदी आधार पर किया जाना चाहिए। बेचने वाली आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनी को प्राप्त राशियों का उपयोग अंतर्निहित प्रतिभूति रसीदों के मोचन हेतु करना चाहिए। प्रतिभूति रसीदों की मोचन तिथि और नकदीकरण की अवधि पहली आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनी की वित्तीय आस्तियों की अभिग्रहण तिथि से आठ वर्ष से अधिक नहीं विस्तीर्ण होगी।

विनियामकों के कथन

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, बैंकों के बीच विनियामक अंतरपणन समाप्त करें

पुणे में राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (NIBM) के 15वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में बोलते हुये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने कहा है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियमन एवं पर्यवेक्षण का परंपरागत दृष्टिकोण हल्के स्पर्श वाला रहा है, ताकि वे जरूरतमन्द क्षेत्रों के लिए अपने भिन्न वित्तीय उत्पादों के साथ बैंकों के संपूरक बन सकें तथा नवोन्मेषी सेवा-सुपुर्दगी तंत्र के माध्यम से जनसंख्या के विभिन्न वर्गों तक पहुँच सकें। हालांकि, हाल की घटनाओं को देखते हुये उनके विनियमन एवं पर्यवेक्षण पर नए सिरे से विचार किए जाने की आवश्यकता है। श्री दास ने यह स्पष्ट किया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों में सुधार लाने तथा कारपोरेट अभिशासन को लागू करने के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया, उत्तराधिकार आयोजना और प्रतिकर/मुआवजा व्यवस्था को और अधिक युक्तियुक्त बनाने के माध्यम से उनकी गुणवत्ता और स्थिरता को बढ़ाना महत्वपूर्ण है।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को आर्थिक कमजोरियों के दूर हो जाने की आशा

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास को अर्थव्यवस्था के कुछेक संकेतकों में वर्तमान कमजोरियों के दूर हो जाने की आशा है। श्री दास ने कहा है कि जहां

वैश्विक अर्थव्यवस्था को अब भी संकट-पूर्व वृद्धि पथ पर वापस आने का उपक्रम करना

है, वहीं उपभोग और निवेश की मांग से प्रेरित होकर भारत ने पिछले तीन वर्षों में सुदृढ़ता से वृद्धि दर्ज करने का क्रम जारी रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक महत्वपूर्ण संस्थाओं और अन्य क्षेत्रों के साथ उनकी अंतर-सहलग्नताओं पर ध्यान केन्द्रित रखते हुये गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यकलाप एवं कार्य-निष्पादन पर निरंतर निगरानी रखेगा। वित्तीय स्थिरता के उसका मूल ध्येय होने के परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) की वाणिज्यिक व्यवहार्यता में सुधार लाने का प्रयास भी कर रहा है। इन प्रयासों में एक छत्र (umbrella) संगठन की प्रस्तावित स्थापना और शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक केंद्रीकृत धोखाधड़ी रजिस्ट्री तथा बोर्ड के स्तर पर अभिशासन में सुधार का समावेश है। भारतीय रिजर्व बैंक परिचालन लागतों को घटाने, जोखिमों को विशाखीकृत करने और पूंजी कम खर्च करने में सहायता करने के लिए स्वैच्छिक विलयनों तथा समेकन को भी प्रोत्साहित कर रहा है।

नई नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम/संगठन
श्री रबी एन॰ मिश्र	भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यपालक निदेशक नियुक्त

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	28 जून, 2019 के दिन बिलियन रुपए	28 जून, 2019 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	29,495.2	4,27,678.8
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	27,560.5	3,99,902.1
1.2 सोना	1,602.6	22,958.2
1.3 विशेष आहरण अधिकार	100.4	1,456.2

1.4 अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	231.7	3,361.8

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

8

जुलाई, 2019 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें
विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	1.99100	1.77600	1.71510	1.71610	1.75900
जीबीपी	0.80380	0.8422	0.8494	0.8731	0.9040
यूरो	-0.35470	-0.370	-0.345	-0.290	**-0.220**
जापानी येन	-0.05380	-0.089	-0.109	-0.115	-0.105
कनाडाई डालर	2.10000	1.787	1.742	1.724	1.725
आस्ट्रेलियाई डालर	1.07600	1.040	1.050	1.160	1.220
स्विस फ्रैंक	-0.73000	-0.788	-0.656	-0.699	-0.626
डैनिश क्रोन	-0.28280	-0.2935	-0.2589	-0.2010	0.1334
न्यूजीलैंड डालर	1.44500	1.363	1.364	1.396	1.449
स्वीडिश क्रोन	-0.06000	-0.059	-0.021	0.030	0.120
सिंगापुर डालर	1.73500	1.648	1.644	**1.671**	1.710
हांगकांग डालर	2.03500	1.800	1.750	1.745	1.745
म्यामार	3.38000	3.390	3.420	3.460	3.490

शब्दावली

बेंचमार्क

बेंचमार्क से अभिप्राय है वित्तीय लिखतों से संबन्धित ऐसी कीमतें, दरें, सूचकांक, मूल्य अथवा उनके संयोजन जिनकी गणना आवधिक आधार पर की जाती है तथा जिनका उपयोग वित्तीय लिखतों या किसी अन्य वित्तीय संविदा के मूल्य-निर्धारण अथवा मूल्य-निरूपण के लिए संदर्भ के रूप में किया जाता है।

रूपान्तरण एक्सपोजर

रूपान्तरण एक्सपोजर विदेशी मुद्रा आस्तियों अथवा देयताओं को किसी निश्चित अवधि के लिए खातों को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से गृह मुद्रा में रूपांतरित किए जाने की आवश्यकता से उद्भूत होते हैं।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

जुलाई, 2019 के प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
वित्तीय सेवाओं में जोखिम पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम हेतु परीक्षोपरांत प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रशिक्षण	30 जुलाई से 1 अगस्त, 2019 तक	
वित्तीय सेवाओं में जोखिम पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम हेतु परीक्षोंपरांत कक्षा में शिक्षण	24 से 26 जुलाई, 2019 तक	कोलकाता
महा प्रबन्धकों/उप महा प्रबन्धकों/सहायक महा प्रबन्धकों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं साइबर सुरक्षा पर कार्यक्रम	25 से 26 जुलाई, 2019 तक	मुंबई
प्रमाणित ऋण व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु परीक्षोंपरांत कक्षा में शिक्षण	24 से 26 जुलाई, 2019 तक	चेन्नै
प्रमाणित ऋण व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए परीक्षोपरांत प्रौद्योगिकी पर आधारित शिक्षण	23 से 25 जुलाई, 2019 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
प्रमाणित ऋण व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु परीक्षोंपरांत कक्षा में शिक्षण	18 से 20 जुलाई, 2019 तक	हैदराबाद
वित्तीय सेवाओं में जोखिम पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम हेतु परीक्षोंपरांत कक्षा में शिक्षण	15 से 17 जुलाई, 2019 तक	नई दिल्ली
प्रमाणित ऋण व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु परीक्षोंपरांत कक्षा में शिक्षण	11 से 13 जुलाई, 2019 तक	मुंबई

संस्थान समाचार

आत्म-समगामी ई-शिक्षण (SPeL) पाठ्यक्रम

संस्थान को अपने दो प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों-यथा डिजिटल बैंकिंग और बैंकिंग में नैतिकता के लिए आत्म-समगामी (self-paced) ई-शिक्षण पाठ्यक्रमों की घोषणा करते हुये प्रसन्नता होती है। इस आत्म-समगामी ई-शिक्षण का उद्देश्य बैंकिंग एवं वित्त क्षेत्रों में नियोजित व्यावसायिकों को एक अधिक सहायक प्रशिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना है। आत्म-समगामी ई-शिक्षण विधि में अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु पंजीकरण कराने, स्वयम अपनी गति से सीखने और अंत में स्वयम अपने स्थान से परीक्षा में शामिल होने की सुविधा प्राप्त होगी। उक्त दोनों पाठ्यक्रमों के लिए आनलाइन पंजीकरण 9 अप्रैल, 2019 से प्रारम्भ हो गए हैं। अधिक विवरण के लिए कृपया लिंक http://www.iibf.org.in/documents/SPeLnotice.pdf देखें।

8वें उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम (AMP) की शुरूआत

संस्थान बैंकिंग/वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों एवं कार्यपालकों के लिए उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम (AMP) नामक एक प्रबंधन कार्यक्रम का संचालन करता है। सत्रों का संचालन इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फ़ाइनैन्स के कुर्ला, मुंबई स्थित लीडरशिप सेंटर में किया जाता है तथा इनका आयोजन सप्ताहांत में/बैंक अवकाश के दिन किया जाता है। 8वें बैच की शुरूआत जुलाई, 2019 से की जाएगी। अधिक विवरण के लिए कृपया www.iibf.org.in देखें।

कारबार संपर्कियों (BCs) का अनिवार्य प्रमाणन दिनांक 3 अक्तूबर, 2018 की अपनी अधिसूचना के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी कारबार संपर्कियों के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा समयोचितता के साथ प्रमाणित किया जाना अनिवार्य कर दिया है। यह कार्य स्तरों में एकरूपता और
कारबार संपर्कियों की एक बैंक से दूसरे बैंक में किसी अडचन के बिना भावी सचलता सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। कारबार संपर्कियों को विषय को बेहतर रीति से समझना सुगम बनाने के लिए संस्थान द्वारा एक अतिरिक्त शैक्षणिक साधन उपलब्ध

कराया जा रहा है। विषय-वस्तु के विशेषज्ञों द्वारा दिये गए वीडियो व्याख्यान रिकार्ड किए जा रहे हैं तथा वे 15 जनवरी, 2019 के बाद संस्थान के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराये जाएंगे। ये व्याख्यान दो भाषाओं - अंग्रेज़ी और हिन्दी में उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त, दूसरे प्रयास
के लिए परीक्षा शुल्क भी संशोधित करके 800 रुपए के स्थान पर 400 रुपए कर दिया

गया है। हालांकि, यह सुविधा ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है जो पहले प्रयास से 120 दिनों के भीतर परीक्षा में सम्मिलित हों। बैंकों द्वारा थोक पंजीकरण के लिए
एक उपयुक्त छूट ढांचा भी तैयार कर लिया गया है।

परीक्षा शुल्क वसूल करने के नियमों मेँ परिवर्तन

संस्थान ने 1 जुलाई, 2017 से सेवा कर के स्थान पर माल एवं सेवा कर (GST) प्रणाली अपना ली है। एसोसिएट, डिप्लोमा और मिश्रित पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा शुल्क वसूल करने के पूर्ववर्ती नियम मेँ यह निर्धारण था कि अभ्यर्थियों को दो प्रयासों के लिए परीक्षा शुल्क का भुगतान एक साथ करना होगा। माल एवं सेवा शुल्क प्रावधानों का पालन करने तथा कर भुगतान प्रबंधन को सरल बनाने के लिए शुल्क
वसूल करने से संबन्धित नियम को पुनर्विन्यस्त किया गया है। अब संस्थान प्रत्येक प्रयास के लिए अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क अलग-अलग वसूल करेगा। अतएव, अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रयास के लिए अलग-अलग पंजीकरण करवाना होगा।

बैंकों मेँ क्षमता निर्माण

संस्थान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभिज्ञात परिचालन के चार मुख्य क्षेत्रों, यथा खजाना प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, लेखांकन और ऋण प्रबंधन मेँ पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। ये पाठ्यक्रम आनलाइन परीक्षा के साथ प्रकृति की दृष्टि से मिश्रित हैं जिसके बाद उनमें ऐसे अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिन्होंने आनलाइन परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ को संबोधित तथा प्रति इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैंस को पृष्ठांकित दिनांक 31 मई, 2017 के अपने पत्र के तहत यह कहा है कि भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ के सहयोग से इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड

फाइनैन्स द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला विदेशी मुद्रा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम ऐसे सभी बैंक कर्मचारियों, जो खजाना परिचालन सहित विदेशी मुद्रा परिचालन के क्षेत्र में कार्यरत है या कार्य करने के इच्छुक हैं, के लिए एक अनिवार्य प्रमाणन होगा। कृपया परीक्षा हेतु पंजीकरण और अधिक विवरण के लिए वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट, एडिनबर्ग, यू. के. के साथ पारस्परिक मान्यता करार

संस्थान को चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट, एडिनबर्ग, यू. के. के साथ पारस्परिक मान्यता करार हस्ताक्षरित होने की घोषणा करते हुये प्रसन्नता होती है। इस करार के अधीन भारत स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकर्स के प्रमाणित सहयोगी (CAIIB) अपनी अर्हताओं को चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट द्वारा मान्यता दिलवाएँगे तथा वे संस्थान के व्यावसायिकता, आचारशास्त्र एवं विनियम माड्यूल का अध्ययन करके और परावर्तक दायित्व को सफलतापूर्वक पूरा करके चार्टर्ड बैंकर बनने में समर्थ होंगे।

प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा में समाधान

संस्थान ने प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा वाली विधि के माध्यम से प्रशिक्षण संचालित करने हेतु एक साफ्टवेयर अभिगृहीत किया है। यह साफ्टवेयर गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी लाये बिना संस्थान को प्रशिक्षार्थियों की काफी बड़ी संख्या तक प्रशिक्षण सामग्री प्रसारित करने में समर्थ बनाएगा। वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रशिक्षण भी आरंभ कर दिया गया है। अधिक विवरण के लिए हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

परीक्षा के लिए छद्म जांच सुविधा

संस्थान अपने प्रमुख पाठ्यक्रमों यथा जेएआईआईबी और सीएआईआईबी के अलावा अपने तीन विशिष्टीकृत पाठ्यक्रमों नामत: प्रमाणित खजाना व्यावसायिक, प्रमाणित ऋण व्यावसायिक तथा वित्तीय सेवाओं में जोखिम के लिए छद्म जक्ष्च की सुविधा प्रदान कर रहा है। अब छद्म जांच में किसी भी बैंक का कर्मचारी शामिल हो सकता है।

वीडियो व्याख्यान अब यूट्यूब पर उपलब्ध

संस्थान द्वारा जेएआईआईबी के तीन अनिवार्य प्रश्नपत्रों और सीएआईआईबी के दो अनिवार्य प्रश्नपत्रों के लिए प्रदान की जाने वाली वीडियो व्याख्यान की सुविधा संस्थान

के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगी। उसके लिए लिंक है https:/ www.youtube.com/channel/UCjfflktvEh8yLb3vwxosGow/playlists"

मुंबई और कोलकाता स्थित संस्थान के स्वयं अपने परीक्षा केन्द्रों में परीक्षाएँ

इसके पूर्व संस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME), ग्राहक सेवा और धन-शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तीयन का मुक़ाबला नामक अपने तीन पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शनिवारों को मुंबई एवं कोलकाता स्थित स्वयं अपने परीक्षा केन्द्रों में परीक्षाएँ आयोजित करता था। **अब ऊपर वर्णित परीक्षाएँ प्रत्येक महीने के 1ले और 3रे शनिवारों को आयोजित की जाएंगी।** अभ्यर्थीगण अपनी पसंद की परीक्षा की तिथि एवं केंद्र का चयन कर सकते हैं। पंजीकरण पहले आए, पहले पाये के आधार पर होगा। उपर्युक्त पाठ्यक्रमों की परीक्षा का कार्यक्रम हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in.पर उपलब्ध है।

आगामी अंकों के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तुएं

जुलाई -सितंबर, 2019 के बैंक क्वेस्ट के अंक के लिए अभिज्ञात विषय-वस्तु निम्नानुसार है

- बैंकिंग में उभरते प्रौद्योगिकीय परिवर्तन: जुलाई - सितंबर, 2019

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ

परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि

(i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2019 से जुलाई, 2019 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी

अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसंबर, 2018 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2019 से जनवरी, 2020 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2019 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नई पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

प्रशिक्षण

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स वाणिज्यिक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/सहकारी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अधिकरियों के लिए विभिन्न विषयों तथा क्षेत्रों के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करता है।

ऋण प्रबंधन	एकीकृत खजाना प्रबंधन
ऋण मूल्यांकन	खुदरा बैंकिंग
ऋण निगरानी	आवास वित्त
वसूली प्रबंधन	जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा
उन्नत ऋण मूल्यांकन	

सामान्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

शाखा प्रबन्धकों का कार्यक्रम
हानि वहन करने वाली शाखाओं के लिए
कायापलट रणनीतियाँ
नेतृत्व विकास कार्यक्रम
प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए उनकी आवश्यकताओं के आधार पर प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित

अपने ग्राहक को जानिए/धन-शोधन निवारण/ आवश्यकतानुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम

आतंकवाद की रोकथाम
अनुपालन
अनुभवी एवं अर्हताप्राप्त संकाय सदस्य - प्रशिक्षु -उन्मुख पद्धति
शिक्षण को प्रोत्साहित करने वाला वातावरण

चेन्नै, नयी दिल्ली और कोलकाता स्थित व्यावसायिक विकास केन्द्रों में प्रशिक्षण सुविधाएं
बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित आवश्यकतानुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

कृपया और अधिक विवरण के लिए इनसे संपर्क करें :
डा॰ टी॰ सी॰ जी॰ नंबूदिरी, निदेशक (प्रशिक्षण)
ईमेल: drnamboodiri@iibf.org.in
फोन : 022 25037119; सेल +91 99203 78486 इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग अथवा एंड फाइनैन्स (आईआईबीएफ)

सुश्री रविता वाधवा, उप निदेशक-प्रशिक्षण
फोन +91-22-25047112; सेल +9198718 99953
ईमेल ravita@iibf.org.in

कारपोरेट कार्यालय, 3री मंजिल, कोहिनूर सिटी कमर्शियल ई टावर-ई, मुंबई -400 070, भारत
www.iibf.org.in

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या 69228/1998 के अधीन पंजीकृत

बाजार की ख़बरें

भारित औसत मांग दरें

6.5
6.4
6.3
6.2
6.1
6
5.9

16

5.8
5.7
5.6
5.5
5.4

जनवरी, 2019, फरवरी, 2019, मार्च, 2019, अप्रैल, 2019, मई, 2019, जून, 2019

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम न्यूजलेटर, मई, 2019

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

95
90
85 अमरीकी डालर
80 जीबीपी
75 यूरो
70 **येन**
65
60
55
50

जनवरी, 2019, फरवरी, 2019, मार्च, 2019, मई, 2019, जून, 2019

स्रोत : फाइनैन्सियल बेंचमार्क बोर्ड आफ इंडिया लिमिटेड (FBIL)

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

15
14.5

14
13.5
13
12.5
12
11.5

17

11
10.5
10
दिसंबर, 2018, जनवरी, 2019, फरवरी, 2019, मार्च, 2019, अप्रैल, 2019, मई, 2019
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जून, 2019

बंबई शेयर बाजार सूचकांक

42000.00
40000.00
38000.00
36000.00
34000.00
32000.00
30000.00

जनवरी, 2019, फरवरी, 2019, मार्च, 2019, अप्रैल, 2019, मई, 2019, जून, 2019
स्रोत : बंबई शेयर बाजार (B S E)

समग्र जमा वृद्धि %

10
9.5
9
8.5
8

दिसंबर, 2018, जनवरी, 2019, फरवरी, 2019, मार्च, 2019, अप्रैल, 2019, मई, 2019

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जून, 2019

डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र द्वारा मुद्रित, डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम),,मुंबई – 400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल,
किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), ,मुंबई – 400 070
टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : admin@iibf.org.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विजन जुलाई, 2019